



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर साधारण चोर पहुंचाने वाले अभियुक्त को 01 वर्ष का कारावास व 200 रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना राठ में पंजीकृत मु0अ0सं0- 105/1991 धारा-323,504 भा0द0सं0 व 3(1)10 एससीएसटी एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय एससी/एसटी एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त दिब्बी उर्फ देवीदीन पुत्र किशन उर्फ किशनलाल निवासी मुहल्ला काजीपुरा कस्बा व थाना राठ जनपद हमीरपुर को धारा-323,504 भा0द0सं0 में दोषसिद्ध करते हुये 01 वर्ष का कारावास व 200/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-
विशेष लोक अभियोजक
विजय सिंह



विवेचक-
उ0नि0 रामनारायण
सिंह



पैरोकार- थाना राठ
का0 सर्वेश